रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 96] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 28, 2014/फाल्गुन 9, 1935
No. 96] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 28, 2014/PHALGUNA 9, 1935

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 फरवरी, 2014

सा.का.नि. 130(अ).—केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 467 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की अनुसूची 7 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :–

1. अनुसूची 7 में, मद (i) से मद (x) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित मदें और प्रविष्टियां रखी जाएगी, अर्थात् :–

"(i) भूख, निर्धनता और कुपोषण का उन्मूलन, निवारक स्वास्थ्य देख-रेख और स्वच्छता का संवर्धन और सुरक्षित पेय जल उपलब्ध कराना;

(ii) शिक्षा जिसमें विशेष शिक्षा और विशेषतः बालकों, स्त्रियों, वयोवृद्धों, अन्य रूप से समर्थ व्यक्तियों के बीच व्यावसायिक कौशल बढ़ाने संबंधी नियोजन और जीविका की बढ़ोत्तरी संबंधी परियोजनाएं का संवर्धन;

(iii) लैंगिक समता, स्त्री सशक्तिकरण का संवर्धन, स्त्रियों और अनाथों के लिए गृहों और छात्रावासों का गठन, वरिष्ठ नागरिकों के लिए वृद्धाश्रमों, दैनिक देखरेख केंद्रों का गठन और ऐसी अन्य सुविधाएं तथा सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े समूहों द्वारा सामना की जाने वाली असमानता में कमी लाने के लिए उपाय करना;

(iv) पर्यावरणीय संपोषण, पारिस्थितिकीय संतुलन, वनस्पति जीव-जंतु का संरक्षण, पशु कल्याण, कृषि वानिकी, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण सुनिश्चित करना तथा मृदा, वायु और जल की क्वालिटी बनाए रखना;

(v) राष्ट्रीय विरासत, कला और संस्कृति का संरक्षण, जिसमें भवनों और ऐतिहासिक महत्ता के स्थल और कलाकृतियां भी सम्मिलित हैं, सार्वजनिक पुस्तकालयों का गठन करना, पारंपरिक कलाओं और हस्तशिल्पों का संवर्धन और विकास;

(vi) सशस्त्र बलों के सेवानिवृत्त सैनिकों, योद्धाओं प्रभावी विधवाएं और उनके आश्रितों के फायदे के लिए उपाय;

(vii) ग्रामीण खेल-कूद राष्ट्रीय स्तर पर मान्यताप्राप्त खेल-कूद, पैरालम्पिक खेल-कूद और ओलम्पिक खेल-कूदों के संवर्धन के लिए प्रशिक्षण देना;

(viii) प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत निधि या केंद्रीय सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों, स्त्रियों के सामाजिक-आर्थिक विकास और राहत के लिए और कल्याण के लिए गठित की गई किसी अन्य निधि में अभिदाय;

(ix) शैक्षणिक संस्थान, जिन्हें केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है, के भीतर अवस्थित प्रौद्योगिकी इनक्यूबेटरों के लिए प्रदान किये गये अभिदाय या निधियां;

(x) ग्रामीण विकास की परियोजनाएं;"।

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 2014 से प्रवृत्त होगी ।

[फा. सं. 1/18ए/2013-सीएल-V]

रेणुका कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th February, 2014

G.S.R. 130(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 467 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following amendments to Schedule VII of the said Act, namely :—

(1) In Schedule VII, for items (i) to (x) and the entries relating thereto, the following items and entries shall be substituted, namely :—

"(i) eradicating hunger, poverty and malnutrition, promoting preventive health care and sanitation and making available safe drinking water;

(ii) promoting education, including special education and employment enhancing vocation skills especially among children, women, elderly, and the differently abled and livelihood enhancement projects;

(iii) promoting gender equality, empowering women, setting up homes and hostels for women and orphans; setting up old age homes, day care centres and such other facilities for senior citizens and measures for reducing inequalities faced by socially and economically backward groups;

(iv) ensuring environmental sustainability, ecological balance, protection of flora and fauna, animal welfare, agroforestry, conservation of natural resources and maintaining quality of soil, air and water;

(v) protection of national heritage, art and culture including restoration of buildings and sites of historical importance and works of art; setting up public libraries; promotion and development of traditional arts and handicrafts;

(vi) measures for the benefit of armed forces veterans, war widows and their dependents;

(vii) training to promote rural sports, nationally recognised sports, paralympic sports and Olympic sports;

(viii) contribution to the Prime Minister's National Relief Fund or any other fund set up by the Central Government for socio-economic development and relief and welfare of the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, other backward classes, minorities and women;

(ix) contributions or funds provided to technology incubators located within academic institutions which are approved by the Central Government;

(x) rural development projects."

2. This notification shall come into force with effect from 1st April, 2014.

[F. No. 1/18A/2013-CL-V]

RENUKA KUMAR, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.